राजस्व अपील सं. 45/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इलिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	श्रीमती नेनू V/S चुतराराम वगैरा	
30/9/19	पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण के उभय पक्ष अभिभाषक उपस्थित। उनकी बहस दिनांक 23/9/19 को सुनी गई। रेस्पोडेन्ट सं. एक के अभिभाषक का कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूणी के आदेश दिनांक 28/12/2018 जो अपंजीकृत वसीयत अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत निर्णय पारित किया गया है। उसकी अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार कलक्टर/अपर जिला कलक्टर को नहीं है। हमने प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्यों व रेस्पोडेन्ट सं. एक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में वस्तु स्थिति यह है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूणी को प्रकरण सं. 1/2018 में एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 135(2) के तहत निर्णय पारित किया गया है उक्त निर्णय की अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अपील अपीलान्ट अभिभाषक को पुनः लौटाई जावे। रजि. न्यायालय अति० कलेक्टर, जोधपुर क्रमांक/कोर्ट/प्र० क० 707 दिनांक 4/10/19 प्रतिलिपि मय सम्बन्धित अभिलेख सहित सूचनार्थ तहसीलदार (भू.अ.) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु लूणी को प्रेषित है। [signature] अति० कलेक्टर, जोधपुर संलग्न → मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 01/2018 नेनू बनाम यदि कोई हो। निर्णय दिनांक :- 28/12/18	

Appeal memo with impugned order received, [signature] 3/10/19

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:14:51 IST
Reason: SelfAttested